

348

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-एफ. 3(212)नविवि/3/2011

दिनांक:- 13 SEP 2011

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है :-

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 17 (6)(b) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करने की स्थिति में भूखण्ड आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। किन्तु यदि आवंटी द्वारा आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाती है तो भूखण्ड पुनः बहाल किया जा सकता है।

इसी प्रकार राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 17 (6)(c) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के 2 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करवाने की स्थिति में भूखण्ड आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। किन्तु उक्त भूखण्ड को पुनः बहाल करने के संबंध में प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जिन योजनाओं में भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं, उन योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य यथा सड़क निर्माण, जल वितरण एवं विद्युत वितरण व्यवस्था वर्षों तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। इस कारण आवंटी द्वारा आधारभूत सुविधाओं के अभाव में निवास किया जाना संभव नहीं होता है व नियमों में निर्धारित अवधि में कार्य नहीं करवाने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जाने के कारण ऐसे आवंटियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार न्यायोचित नहीं है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6)(b) व राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6)(c) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं किये जाने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को दिनांक 31.3.2012 तक, बहाल कर निर्धारित राशि वसूल करने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उपरोक्त नियम, 1974 के नियम 17 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु निर्धारित अवधि की गणना हेतु भूखण्ड का कब्जा सुपूर्द करने की दिनांक अथवा योजना के जिस सेक्टर में आवंटित भूखण्ड स्थित है, उसमें सड़क, पेय जल एवं विद्युत वितरण व्यवस्था संबंधी विकास कार्य करवाने की दिनांक में से, जो भी बाद की दिनांक है को, भूखण्ड स्वतः निरस्त करने की दिनांक माने जाने की स्वीकृति प्रदान करती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव

(95)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों का आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
9. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
14. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

13/9/2011
शासन उप सचिव-तृतीय